न्यायालय सेशन न्यायाधीश, कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	:	सत्यनारायण व्यास
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या	:	2006/2026
एफ.आई.आर.संख्या	:	423/2026
अंतर्गत धारा	:	111(3) BNS, 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट
पुलिस थाना	:	उद्योग नगर, कोटा शहर
CNR No.	:	RJKT010045262026

धीरज सिंह पुत्र नरेश सिंह, निवासी प्रीतम जूस वालों की गली, काट्या घर हाउस, पुलिस थाना कैथूनीपोल, कोटा (राज.)

.....प्रार्थी अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान सरकार, जरिये लोक अभियोजक, कोटा

.....विपक्षी

जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित:-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र दाधीच, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से
2. विद्वान लोक अभियोजक श्री मनोज पुरी, राज्य सरकार की ओर से

आदेश दिनांक: 14.08.2026

1. प्रार्थी अभियुक्त धीरज सिंह की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र उसके अधिवक्ता ने पेश किया, जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने बहस के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए पक्षकथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में सहअभियुक्त संदीप सोलंकी, रोहित सुमन, कोहिनूर की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है, प्रार्थी का प्रकरण उपरोक्त से भिन्न नहीं है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण में झूठा फँसाया गया है, उसका प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी का घटना से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी को महज रंजिशवश झूठा फँसाया गया है। प्रार्थी के जेल में रहने से उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। प्रार्थी से कोई रिकवरी या अनुसंधान किया जाना

Authenticated Document

शेष नहीं है। प्रार्थी कोटा का स्थायी निवासी है, जिसके फरार होने एवं गवाहान को टेम्परविद किए जाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से पूर्व में इस आशय का जमानत आवेदन-पत्र इस न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायायल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही विचाराधीन है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी को घर से उठाकर ले गये थे। प्रकरण को गम्भीर रूप देने के लिये मामले में धारा 111(3) बीएनएस जोड़ी गई है। उन्होंने उक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी अभियुक्त के जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रार्थी अभियुक्त के आधिपत्य से बिना अनुज्ञा-पत्र के धारदार चाकू बरामद हुया है, जो गंभीर अपराध है। आजकल कोटा शहर में लूटपाट के प्रकरण निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सियाराम उप निरीक्षक ने पुलिस थाना उद्योग नगर, कोटा शहर पर एक फर्द चैकिंग व जब्ती इस आशय की पेश की कि वह मय जाप्ता मय अनुसंधान बॉक्स मय सरकारी वाहन मय चालक मय लेपटाप मिनि प्रिंटर के वास्ते करने गस्त एवं चैकिगं अवैध कार्य जुआ-सटा, अवैध हथियार, अवैध शराब की रोकथाम एवं गुण्डा बदमाशान की तलाश पतारसी हेतू थाने से रवाना होकर गस्त करते हुये रायपुरा चैराहे पर पहुंचे जहां पर जरीये मुखबिर खास के सूचना मिली की कब्रिस्तान के गेट के पास देवली अरब रोड पर एक नीले रंग की कार आई-20 कार रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 48 सी.ए. 2334 खडी है जिसमें चार व्यक्ति बेठे हुये हैं, जिनके पास अवैध हथियार है जो किसी के साथ वारदात करने की फिराक में है। उक्त मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने से उक्त सूचना को हमराही जाप्ते को अवगत करवाकर मुखबिर के बताये अनुसार सांकेतिक स्थान कब्रिस्तान गेट के पास देवली अरब रोड के लिए रवाना हुये। देवली अरब रोड शराब के ठैके के पास पहुंचे तो मुखबिर के द्वारा बताये हुये हुलिये की कार कब्रिस्तान के गेट की तरफ खडी नजर आयी जो पुलिस की गाडी को देखकर एकदम से गाडी स्टार्ट करने लगे तो मन उ.नि. मय हमराही जाप्ता की मदद से उक्त कार को घेरा देकर रोका तथा उसने कार की चाबी निकाल ली ओर कार मे बेठे चारों शख्सों को यथास्थिति मे बैठे रहने की हिदायत दी गयी तथा चारों शख्स से उनके नाम पते पुछे तो चारों ने पृथक पृथक उनके नाम

Authenticated Document

संदीप सोलंकी, धीरज सिंह, कोहिनूर सिकलीगर लुहार एवं रोहित सुमन होना बताया जिनसे उक्त स्थान पर कार मे बैठे रहने एवं कंहा से कंहा जाने के बारे में पुछताछ की तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया तथा एक दूसरे की तरफ देखने लगे तथा हक्के बक्के रह गये तथा झटपटाने लगे। उक्त चारों व्यक्तियों की तलाशी लेना आवश्यक होने से नियमानुसार चारों व्यक्तियों से ड्राईवर सीट पर बेठा संदीप सोलंकी को कार से नीचे उतार कर उसकी तलाशी ली तो उसकी कमर के बांयी तरफ कमर में पेन्ट के अन्दर टी-शर्ट के नीचे की तरफ एक अवैध देशी पिस्टल मिली जिसकी मैगजीन को निकाल कर चैक किया तो मैगजीन मे एक जिन्दा कारतूस मिला तत्पश्चात ड्राईवर के बगल मे आगे की तरफ बेठा रोहित सुमन को कार से नीचे उतार कर तलाशी ली गयी तो रोहित सुमन की पहनी हुयी जींस पेन्ट की दाहिनी जेब मे 02 जिन्दा कारतूस मिले तत्पश्चात कार में पीछे बेठे दोंनो व्यक्ति धीरज सिहं एवं कोहिनूर सिकलीगर की पृथक पृथक तलाशी ली गयी तो धीरज सिंह के पेन्ट मे पीछे की तरफ कमर मे घुसेडा हुआ धारदार चाकू मिला जिसका पैमाने से नाप किया तो धारदार फल की लम्बाई 16.5 सेमी तथा हत्थे की लम्बाई 12 सेमी कुल लम्बाई 28.05 सेमी होना पायी गयी तथा कोहिनूर सिगलीगर की तलाशी ली गयी तो पहने हुये पजामा के बांये जेब में धारदार चाकू मिला जिसका मोके पर पैमाने से नाप किया तो एक अवैध धारदार चाकू जिसके धारदार फल की लम्बाई 16.5 सेमी तथा हत्थे की लम्बाई 12 सेमी कुल लम्बाई 28.05 सेमी होना पायी गयी। उक्त चारों में से संदीप सोलंकी से उसके कब्जे में अवैध पिस्टल रखने बाबत पुछा तो बताया की वह थाना कैथूनीपोल का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ कैथूनीपोल एवं मकबरा थाने मे पूर्व के 13 मुकदमे दर्ज है तथा उसकी रोहित कबूतर से रंजिश चल रही है जिसने वर्ष 2025 में उसके उपर उसके साथीयों से फायरिंग कर जानलेवा हमला करवाया था। इसलिए वह उसके पास हमेशा अवैध देशी पिस्टल एवं कारतूस रखता है। इसी वजह से उसने उसके साथ इन लडकों को रख रखा है। तत्पश्चात दूसरे रोहित सुमन से पूछा तो बताया की उसको संदीप सोलंकी साथ लेकर आया था ओर कहा की उसकी रोहित कबूतर से दुश्मनी चल रही है जो आज रायपुरा मे आने वाला है इसलिए वह संदीप सोलंकी के कहने पर इसके साथ आया है। इसी प्रकार तीसरे व्यक्ति कोहिनूर सिगलीगर से अपने पास अवैध धारदार चाकू रखने का कारण पूछा तो उसने बताया की उसकी भी रोहित कबूतर से पुरानी रंजिश चल रही है इसलिए वह भी बदला लेने के लिए संदीप के कहने पर इसके साथ आया था उसके खिलाफ पूर्व में थाना किशोरपुरा, जवाहनगर, उद्योग नगर थानो मे करीबन 6 मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार चौथे व्यक्ति धीरज सिंह से अपने पास अवैध धारदार चाकू रखने के बारें मे पूछा तो बताया की उसको रोहित कबूतर की फिल्डिंग लगाने के लिए संदीप सोलंकी उसके साथ लेकर आया था। उक्त चारों व्यक्तियों के पास मिले पृथक पृथक एक

Authenticated Document

अवैध देशी पिस्टल व एक कारतूस, 2 अवैध कारतूस एवं दो अवैध धारदार चाकू को अपने पास रखने के सम्बन्ध मे अनुज्ञापत्र या लाइसेंस मांगा तो चारों ने उनके पास किसी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र या लाइसेंस होना नहीं बताया। इस प्रकार उक्त चारों में से संदीप सोलंकी एवं रोहित सुमन का कृत्य धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं 111(3) बी.एन.एस. का दण्डनीय अपराध एवं कोहिनूर सिगलीगर एवं धीरज सिंह का कृत्य धारा 4/25 आर्म्स एक्ट एवं 111(3) बी.एन.एस. का दण्डनीय अपराध होने से उक्त चारो के पास मिले पृथक पृथक एक अवैध देशी पिस्टल एक जिंदा कारतूस, दो अवैध जिंदा कारतूस एवं दो अवैध धारदार चाकू को बतोर वजह सबुत जप्त कर कब्जे पुलिस लिया लिया गया तथा उक्त आई-20 कार जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 48 सी.ए. 2334 को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे पुलिस ली गयी। कार की तलाशी ली गयी तो कार में तीन मोबाईल फोन मिले जिनमें ओपो कम्पनी का मोबाईल संदीप सोलंकी ने उसका होना बताया जिसमें 8306179752 नम्बर की सिम कार्ड होना बताया। दुसरा मोबाईल सेमसंग कम्पनी का जिसको रोहित सुमन ने उसका मोबाईल होना बताया जिसमे 9664006653 नम्बर की सिम कार्ड है, तीसरा मोबाईल कोहिनूर ने उसका होना बताया जो ओपो कम्पनी का है जिसके मोबाईल नम्बर ज्ञात होना नहीं बताया। उक्त तीनों मोबाईल को कब्जा पुलिस लिया गया.....इत्यादि। उक्त फर्द चैकिंग एवं जब्ती के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 423/2026 अंतर्गत धारा 111(3) BNS, 3/25, 4/25 आयुध अधिनियम में संस्थित किया गया जो अन्वेषणाधीन है।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत: Jugal Vs State of Rajasthan S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13513/2020 की अनुपालना में अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

6. अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी अभियुक्त के आपराधिक अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त के आधिपत्य से बिना अनुज्ञा-पत्र के 16.5 सेमी फल लंबाई तथा 12 सेमी हत्थे की लम्बाई का एक चाकू बरामद होना बताया गया है। प्रकरण के अन्य सहअभियुक्त संदीप सोलंकी की जमानत दिनांक 12.08.2026 को, अभियुक्त कोहिनूर की जमानत दिनांक 10.08.2026 को तथा अभियुक्त रोहित की जमानत पूर्व में दिनांक 05.08.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी अभियुक्त का मामला उनसे भिन्न प्रकृति का नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 01.08.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है, जिससे अब कोई

Authenticated Document

अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 111(3) BNS व 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप है। अभी प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं तत्पश्चात विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे मत में इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. निष्कर्षतः प्रार्थी अभियुक्त धीरज सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में व भविष्य में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त के साथ राशि 40 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं राशि 20-20 हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभू (प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो-दो फोटो प्रति सहित), विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दिया जावे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

8. इस जमानत आदेश में किये गये विवेचन का प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(Criminal) No. 04/2021 In Re Policy Strategy for Grant of Bail & SLP (Cri.) No. 529/2021 वाले मामले में दिये गये आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में इस जमानत आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह कोटा को भी जरिये ई-मेल प्रेषित की जावे।

(सत्यनारायण व्यास)

9. आदेश आज दिनांक 14.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण व्यास)

ASHISH JANGID
Digitally signed by ASHISH JANGID
Date: 2026.08.14 16:53:16 +0530

Authenticated Document